

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेंट

ओतमाराम पुत्र छगनाराम जाति  
दर्जी, निवासी बडगांव, तहसील  
रानीवाडा, जिला जालोर

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी  
तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील

38/2019

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय  
दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर.  
एक्ट, प्रकरण संख्या 08/2019 ओतमाराम बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्त
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोडेंट
- 3-श्री छोटसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 06.01.2020

अपीलान्त के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर वरिष्ठ जांच दर्ज  
रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्पत्ति सूचित किया गया। अधीनस्थ  
न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। विवरण में ब्रह्म  
सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलप्रस्त भूमि के बारे में  
बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह राजपुत ने जागीर कमीशनर,  
राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आबादी भूमि जो  
उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उसका विस्तृत विवरण सूची में पेश किया  
था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्द्रांज किया जिसका टम  
अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-बी में मकान आबादी भूमि आदि का  
विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही अपीलप्रस्त भूमि है  
जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछे पट्टी खुली जमीन  
शामिल है। जागीर कमीशनर ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर (जागीर) से जांच  
करवाई गई उन्होंने बाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः कमीशनर के न्यायालय  
में पेश की, उसमें सूची बी के क्रम संख्या 4 में भूमि के पट्टा अंकित किये  
है उसी भूमि पर कोई उजरदारी प्राप्त नहीं होने से पूर्व जागीरदार की निजी  
सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) ने दिनांक 19/01/1963 को  
किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नहीं की है  
इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। इस निर्णय की पालन में भूमिधारी  
स्वयं को रेकॉर्ड दुरुस्ती कर खसरा नम्बर 791 में ओरण दर्ज बजाय गै.नु.  
आबादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि ऐवैन्यु रेकॉर्ड को अपडेट रखने का  
प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इमं जागीरदार ने नियमानुसार  
पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्त ने आबादी भूमि खरीद की है  
जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तत्कालीन तहसीलदार भानमय ने ही  
किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को ओरण की मानकर बैचान व जुमनि  
का आदेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारों  
पर यह अपील पेश की जा रही है :- पट्टागी हल्का

बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध प्रथम 310 सन्त 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रुपये का जूमाना लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि "कब्जाधारी जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही कब्जा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की, जागीर कमीश्नर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीश्नर साहब के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मॉक पर जांच की, उस वकत चक्की व मकान पाये गये लिखा है, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पति की सूची 1958 59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी काटो की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अथ चक्की व मकान नही मिले, लेकिन मौतबिरान ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी उसमें अब दुकाने आवासीय मकानात व जागीरदार की निजी भूमि के पडौस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का कार्यवाही ड्रॉप करने की बजाय बेदखली व जूमाना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पति की सूची बी में क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बताये, जिनमें में अपीलान्ट ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट रास्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बैचान के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्ट ने ग्राम पंचायतों से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद जांच आकर्षण मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बैचाननाम पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्ल" के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विबंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अंतर्गत तब चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जूमाने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिवक्ता को गैर हजरत में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला

नही दिया जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सी.पी.सी के प्रावधानों के भी अतिकूल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली। उसके बाद अन्य नकले व राफ्त एण्डल में पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी में यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद के सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर म्याद शुमार दर्ज किये जाने योग्य है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इसमें पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीरी की थी जागीरदार खुद क़ाएत की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेन्ट का पैमाईश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पर्दास में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रिकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जा नानवीय भूल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ उपस्थित रहे है उन्होंने कोई उत्तरदायी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब कंकल रिकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कले को बेदखल कर जूराना कर वसूल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेन्ट अधिािटी ने गांव के ओरण के रकबे में गत के मुकाबले वृद्धि की है जिसमें भी मायित है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791, ग्राम बडगांव की पुराने आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है। इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भाव्य में अपील के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

वहस उभय पक्ष की सुनी गई वकील अर्पलाट द्वारा अपील में विहित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पटवारी हल्का बडगांव द्वारा गैर सायल ओतमाराम के विरुद्ध मौजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 23/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश एवं दलील जूराना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 50/2012 ओतमाराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 को अपीलाट की

अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध गैर सायल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायलय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 35/2012 ओतमारागम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध गैर सायल द्वारा निगरानी/एल.आर/1457/2015/जालोर ओतमारागम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा का इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथन एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिगण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 18.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी ओतमारागम पुत्र छगनाराम जाति दर्जी साकिन बडगांव द्वारा अल्पकाल में निरमुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाना है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचारार्थ अपील प्रकरण संख्या 08/2019 ओतमारागम बनाम सरकार में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों के अधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के रकबा क्षेत्र 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जमीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायलय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अक्रिय भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। उप जिलाधीश (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी जमीन है को अधाली में होना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि का जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई। आबादास्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से जरिये रजिस्टर्ड बेचन वस्तावेज के अपीलांट को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पाना बिजली के कनेक्शन भी किये हुये है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर काबिज है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर निरमुमकिन ओरण प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता कब्जा आ रहा।

है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा जबकि इस प्रकरण में अपीलांट अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.1006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है।क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है।तथा भू मण्डल रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजों के लिये उपधारणा - अधिकार अभिलेख में लिखे गये समस्त इन्द्राजों के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक वा विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये।इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है इसे अर्पलांट साबित करने में सफल रहा है।क्योंकि प्रकरण संख्या 08/2019 सरकार बनाम ओतमाराम की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन बली है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है।जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतःअर्पलांट की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजस्थान अधिवक्ता उपस्थित।तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहम के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलांट को नायब तहसीलदार कोर्ट से चेदखना अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बतल खसरा नंबर दर्ज नहीं है।केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पेछाड़ी खुली जमीन लिखा हुआ है।आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।विवाचित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है।जिसने पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आंकलन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है।रजिस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है।तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है।पत्रावली पर उपलब्ध बंडल अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2009 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है।अतःआधारहीन अपील को खरिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहम के विन्दुओं पर ध्यान भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2008 में श्री ओतमाराम पुत्र छगनाराम जाति दर्जी निवासी बडगांव द्वारा नयावज कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को नोटिस तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई।नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 23/2012 सरकार बनाम ओतमाराम दर्ज कर गैर सायल ओतमाराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तत्बल किया गया।पेशी तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर वाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से चेदखना करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रुपये से संबंधित किया गया।

दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 50/2012 ओतमाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 35/2012 ओतमाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलार्थन निर्णय बहाल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1457/2015/जालोर ओतमाराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी ओतमाराम पुत्र हगननाम जन्त दर्जी साकिन बडगांव द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/- अक्षरे पंचायत रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचारार्थन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकदमा संख्या 08/2019 सरकार बनाम ओतमाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन दिया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आबादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से जरिये बैचान दस्तावेज के अपीलांत द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. जारी करना भी अपीलांत द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल पत्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुनः खसरा नंबर 622 से सृजित हुये है। जिनकी पूर्त ने ही क्रम सं. गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन खारिज नहीं

है। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी संपत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तू दर्ज चली आ रही है जो जमाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुतो जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला प्लू भाग रहे हो और उस आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रिकॉर्ड में दुरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा थडगांव तहसील रानी बड़ा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेंट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण से किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्त किसी भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानी बड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 8/2019 सरकार बनाम ओतमाराम में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

54-

(महेश्वर सैनी)

जिला कलेक्टर, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को तिखवाना जाकर खुद न्यायालय में सुनाया गया।

54-

(महेश्वर सैनी)

जिला कलेक्टर, जालौर